कार्यालय:-
वन मण्डल अधिकारी, (क्षेत्रीय) पानीपत।
वन विभाग हरियाणा सरकार

वन परिसर असन्ध रोड़, पानीपत, दूरभाष/ फैक्स न0:- 0180-2650331 Email:-dfopanipat04@yahoo.co.in

क्रमांक :- 1195 दिनांक :- 24-12-2020

सेवा में :-

मुख्य वन संरक्षक,
मध्य परिमण्डल,रोहतक।

विषय : **Diversion of 0.0378 Ha. (Instead of 0.0648 Ha.) for construction of 132 KV LILO from Beholi-Chhajpur Line at 132 KV S/Stn. Passina Khurd T/L crossing various strips of Siwah to Nurpur Road & Nurpur to Dadola under Forest Division & Distt. Panipat.**

Proposal No.FP/HR/Trans/43945/2020
Date of Proposal:-15-01-2020

:::::::::::::

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में विषयाकिंत प्रस्ताव में आपको सूचित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी ने Beholi-Chhajpur Line at 132 KV S/Stn. Passina Khurd T/L crossing various strips of Siwah to Nurpur Road पर बिजली लाईन लगाने हेतू इस कार्यालय में प्रस्ताव भेजा है। निम्नहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 23-11-2020 को किये गये मौका निरीक्षण अनुसार उक्त केस प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा **0.0378** है0 वन भूमि का प्रयोग किया जाना है। उक्त प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजैंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम-1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। उक्त प्रस्ताव में प्रयौक्ता एजैंसी द्वारा सिवाह से नूरपुर तथा नूरपुर से डाडोला गांव तक लाईन ले जानी है। उक्त आवेदित स्थल में नूरपुर से डाडोला गांव तक का रोड नोटिफाईड वन क्षेत्र नहीं है। उक्त प्रस्ताव में वन विभाग के 13 वृक्ष बाधित होते हैं। जिसमें सिवाह से नूरपुर तक 3 वृक्ष तथा नूरपुर से डाडोला तक 10 वृक्ष बाधक हाते है। इस केस में प्रभावित वन क्षेत्र के विरूद्व प्रभावित वन भूमि अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तैयार की गई है। प्रस्तावित केस के बदले प्रतिपूर्ति पौधारोपण Tall Plants Scheme के अन्तर्गत कुल 130 प्लान्टस ऑल्ड बादशाही केनाल आर0डी0 28-35 बायें साईड पर करवाया जाएगा।

अतः आपको उक्त केस एक प्रति में भेजकर आपसे अनुरोध है कि सलग्न केस पर अगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

सलग्न/उपरोक्तः- पूर्ण केस एक प्रति में

Dy. Conservator of Forests,
उप वन संरक्षक,
PANIPAT
पानीपत।
23.12.2020

पृ0 क्रमांक :- 1196-98 दिनांक :- 24-12-2020

इसकी एक प्रति-

1. Executive Engineer, SDO/Const. S/Divn. HVPNL, Panipat को भेजकर सूचित किया जाता है कि विषयाकिंत केस वन संरक्षण अधिनियम 1980/2003 के तहत तैयार करके उच्चाधिकारियों को स्वीकृति हेतू भेज दिया गया है। जब तक इस केस की स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय/उच्चाधिकारियों से प्राप्त नही होती तब तक वन विभाग की संरक्षित वन भूमि का उपयोग न किया जाये।
2. वन राजिक अधिकारी, पानीपत/समालखा को भेजते हुए निर्देश दिये जाते है कि प्रस्तावित केस की अनुमति प्राप्त होने तक वन भूमि का उपयोग न होने दिया जाये।

Dy. Conservator of Forests,
उप वन संरक्षक,
PANIPAT
पानीपत।
23.12.2020

Scanned with CamScanner